



यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

सं० 74-म०प्र०(वि०प्र०)/एफ-111/सीपीएफ

दिनांक: मई 05, 2005

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में दिनांक 14-01-2000 के पश्चात् नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों पर अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू किये जाने विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 1615/पीएण्डआर दिनांक 06-06-03, सं० 1274/पीएण्डआर दिनांक 1806-04, महाप्रबन्धक (वित्त प्रबन्ध) द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं० 3097/म०प्र०(वि०प्र) दिनांक 19-03-05 तथा कम्पनी सचिव, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के पत्र सं० 1913 दिनांक 28-04-2005 के सन्दर्भ में अंशदायी भविष्य निधि योजना के क्रियान्वयन एवं भुगतान हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी उनसे सम्बन्धित नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान समस्त विवरणों के साथ सीधे ट्रस्ट को प्रेषित करेंगे जिसे ट्रस्ट द्वारा स्वीकार किया जायेगा। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी इस तथ्य को सुनिश्चित एवं प्रमाणित करेंगे कि उनके अधीन अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित सभी अधिकारी/कर्मिकों का निर्धारण अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान पूर्णतः ट्रस्ट को ससमय प्रेषित एवं जमा कराया गया है। सम्बन्धित परिक्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा इसका मासिक अनुश्रवण एवं रिकन्सिलियेशन सुनिश्चित किया जायेगा।

निदेशक (वित्त)

सं० 74-म०प्र०(वि०प्र०)/एफ-111/सीपीएफ तद् दिनांक: मई 05, 2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
4. सचिव, ट्रस्ट, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, अंशदायी भविष्य निधि योजना, लखनऊ
5. समस्त महाप्रबन्धक (पारेषण), 6. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०,।
7. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी (पारेषण), क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०,।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०,।
9. उपमुख्यलेखाधिकारी, निधि-111/11, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।

(ए० के० गुप्ता)
उपमहाप्रबन्धक (वि०प्र०)